(21)

संख्या-4/2015/1541/23-7-2015

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ:दिनांक 26 अक्टूबर, 2015

विषय-लोक निर्माण विभाग के अमीन/ सर्वेयर के पद पर कार्यरत कर्मियों के वेतन का उच्चीकरण/संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता,व्यवस्थापन'ग'वर्ग,लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-733व्यगशा/1व्यग(165)/2010, दिनांक 26 सितम्बर, 2012 एवं पत्र संख्या-1040व्यगशा/1व्यग(165)/2010, दिनांक 06 अगस्त, 2015 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-2366/23-7-11-160 (कोर्ट)/05, दिनांक 16 नवम्बर, 2011 जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग में कार्यरत 23 विभिन्न श्रेणी के कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों की अर्हता/ग्रेड वेतन का निर्धारण करते हुए अमीन/सर्वेयर का ग्रेड वेतन रू0 1900/- रखा गया है, के संशोधन के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अमीन/सर्वेयर के पदों पर भर्ती का स्रोत, न्यूनतम अर्हता, अनुभव,वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे निर्धारित किये जाने विषयक आपके उक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, लोक निर्माण विभाग के अमीन/ सर्वेयर के पदों के लिए निम्न तालिका में कालम-3 में उल्लिखित भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता/ अनुभव निर्धारित करते हुए कालम-4 व 5 में अंकित वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के स्थान पर कालम-6 व 7 में अंकित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	पदनाम	भर्ती हेतु संबंधित पदों के लिए न्यूनतम अर्हता/ अनुभव	वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन		संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	
1	2	3	4	5	6	7
1	अमीन/ सर्वेयर	सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता-हाईस्कूल उत्तीर्ण, सर्वेयर ट्रेड में आई0टी0 आई0 द्वारा प्रदत्त दो वर्षीय प्रमाण पत्र एवं संबंधित ट्रेड में 05 वर्ष का अनुभव।	5200-20200	1900	5200-20200	2400

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- शासनादेश संख्या-2366/23-7-11-160(कोर्ट)/05, दिनांक 16 नवम्बर, 2011 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

3- उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश सं0-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- वे0आ0-2-1248/2015, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जावेद एहतेशाम)
विशेष सचिव।

संख्या-4/2015/1541(1)/23-7-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता,लो0नि0वि0, उ0प्र0।
4- वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
5- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
6- कार्मिक अनुभाग-4
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष कुमार सक्सेना)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।